

उनवान

- 1 राम लालपुरी पिता सेव पुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा (राज)
- 2 रतनपुरी पिता सेव पुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा (राज)
- 3 प्यारपुरी पिता सेव पुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा (राज)
- 4 कैलाश पुरी पिता सेव पुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा (राज)
- 5 दिनेश पुरी पिता सेव पुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा (राज)
- 6 प्रेम पुत्री सेवपुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा (राज)
- 7 सन्तोष पुत्री सेव पुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा (राज)
- 8 बरजीदेवी पत्नि सेव पुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा (राज)

(प्रार्थी)

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि राम शर्मा, निवासी गर्ल्स स्कूल की गली, बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
2. राजुदेवी पत्नि देबीपुरी गुसाई निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
3. जगदीशपुरी पिता हीरापुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
4. कैलाश पिता कानगिरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
5. श्यामपुरी पिता भेरू पुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
6. सोहनी पत्नि माधुपुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
7. गोपाल पिता माधुपुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
8. सम्पत पिता माधु गिरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
9. लादु पिता सवाईराम गाडरी निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
10. शम्भुपुरी पिता भगवत पुरी गुसाई, निवासी पटेलाई, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
11. रमेश पिता रामसुख छीपा, निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
12. शम्भु गिरी पिता बालुगिरी, निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
13. मदन गिरी पिता बालु गिरी, निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
14. गणेश पिता भोलु गाडरी, निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 27.12.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सरदारनगर पटवार मण्डल सरदारनगर भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेडा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 1290 के आ0न0 1375, 2396, 2400, 2401, 2415, 2416, 2437, 2438, 2439, 2447, 3810/2415 कुल किता 11 कुल रकबा 12 बिघा 8 बिस्वा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06.12.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को बजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सरदारनगर पटवार मण्डल सरदारनगर भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 1290 के आ0न0 1375, 2396, 2400, 2401, 2415, 2416, 2437, 2438, 2439, 2447, 3810/2415 कुल किता 11 कुल रकबा 12 बिघा 8 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक उपरेडा को 1300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को निजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

3